[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना संख्या 30/2019- सीमा शुल्क (एडीडी)
नई दिल्ली, दिनांक 1 अगस्त, 2019

सा.का.नि. (अ). जब कि बंग्लादेश और नेपाल (एतश्मिन पश्चात जिन्हें विषयगत देशों से संदर्भित किया गया है) में मूलत: उत्पादित या वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित "जूट उत्पाद" जैसे कि जूट यार्न/ट्विन (मल्टीपल फोल्डेड/केबल्ड एंड सिंगल), हैसियन फैब्रिक और जूट सैकिंग बैग्स (एतश्मिन पश्चात जिसे विषयगत वस्तु से संदर्भित किया गया है), जो कि सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम से संदर्भित किया गया है), की प्रथम अनुसूची के टैरिफ शीर्ष 5307, 5310, 5607 या 6305 के अंतर्गत आते हैं, के आयात के मामले में निर्दिष्ट प्राधिकारी अधिसूचना संख्या 14/19/2015-डीजीएडी, दिनांक 20 अक्तूबर, 2016, के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।, खंड । में प्रकाशित अपने अंतिम निष्कर्षों में इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि –

(i) विषयगत देशों से विषयगत वस्तुओं की भरमार हो रही है;
(ii) विषयगत देशों से हो रहे इस प्रकार के आयात से घरेलू उद्योग की कीमतों में कमी आ रही है और इस पर दबाव भी पड़ रहा है;
(iii) निवेश से होने वाले लाभप्रद प्रतिफल और नकद प्रवाह की दृष्टि से घरेलू उद्योगों का कामकाज खराब हो गया है;
(iv) घरेलू उद्योग को होने वाली यह क्षति इस फालतू आयात के कारण हुई है;

और घरेलू उद्योग को हुई इस क्षति को दूर करने के लिए विषयगत देशों में मूलत: उत्पादित और वहां से निर्यातित तथा भारत में आयातित विषयगत वस्तुओं के आयात पर लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क को जारी रखने की सिफारिश की है;

और जब कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के उपर्युक्त निष्कर्षों के आधार पर केन्द्र सरकार ने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जनवरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 11 (अ), दिनांक 05 जनवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (**i**) में प्रकाशित किया गया था, के तहत विषयगत वस्तुओं पर प्रतिपाटन शुल्क लगाया था;

और जब कि मैसर्स नेचुरल जूट मिल्स लि. (उत्पादक**/**निर्यातक) और मेसर्स क्रिएशन ग्लोबल एलएलसी, यूएसए (निर्यातक/व्यापारी) (बंग्लादेश) ने अपने द्वारा निर्यातित विषयगत वस्तुओं के बारे में सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 22 के अनुसार समीक्षा किए जाने के लिए अनुरोध किया है और निर्दिष्ट प्राधिकारी ने न्यू शिपर रिव्यू अधिसूचना संख्या 7/9/2017-डीजीएडी, दिनांक 18 जनवरी, 2018 जिसे दिनांक 18 जनवरी, 2018 के तहत भारत के राजपत्र असाधारण के भाग ।, खड । में प्रकाशित किया गया था, के तहत सिफारिश की है कि जब तक इस समीक्षा का कार्य पूरा नहीं हो जाता है, तब तक उक्त पार्टियों के द्वारा किए गए विषयगत वस्तुओं के सभी निर्यात का अनंतिम आंकलन किया जाए, जिसे सीमा शुल्क की अधिसूचना सं. 16/2018 सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 23 मार्च, 2018 के माध्यम से, जिसे सा.का.नि. 276 (अ.), 23 मार्च, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, अधिसूचित किया गया था।

और जहां कि विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, अधिसूचना सं. 7/10/2017- डीजीएडी, दिनांक 2 मई, 2019 में अपने अंतिम निष्कर्ष, जिसे दिनांक 2 मई, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।, खण्ड 1, प्रकाशित किया गया था, के माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि मैसर्स नैचुरल जूट मिल्स (उत्पादक/निर्यातक) **[**बंगलादेश**]** ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विषयगत माल के कुल निर्यात का 1**%** भी निर्यात नहीं किया है । इस प्रकार यह निर्यात इतना

कम है कि आवेदन करने वाले उत्पादक/निर्यातक को अलग से डंपिंग मार्जिन देने के उद्देश्य से इसको वाणिज्यिक प्रतिनिधित्व मात्रा नहीं माना जा सकता है और इसीलिए उन्होंने यह सिफारिश की है कि इस उत्पादक/निर्यातक का आंकलन अधिसूचना संख्या 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 05 जनवरी, 2017, जिसे सा.का.नि. 11 (अ), दिनांक 05 जनवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग ।।, खंड 3, उप खंड (**i**) में प्रकाशित किया गया था की शुल्क सारणी की अवशिष्ट श्रेणी के अनुसार किया जाता रहेगा ।

अतः अब सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उनका आंकलन और उन पर प्रतिपाटन शुल्क का संग्रहण तथा क्षति निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 18 और 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में भारत सरकार, में वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) सं. 1/2017- सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 5 जनवरी 2017 की अधिसूचना जिसे भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खण्ड 3, उप-खण्ड (i), संख्या सा.का.नि. 11(अ) दिनांक 5 जनवरी, 2017 को प्रकाशित किया गया था, के तहत निम्नलिखित और आगे भी संशोधन, एतद्द्वारा, करती है, यथा:-

"स्पष्टीकरण – इस अधिसूचना के उद्देश्य से मैसर्स अमन जूट फाइब्रस लिमिटेड (उत्पादक), मैसर्स आईबी जूट कारपोरेशन (निर्यातक/ट्रेडर), नेचुरल जूट मिल्स (उत्पादक/निर्यातक) [बंगलादेश] और मैसर्स क्रिएशन ग्लोबल, एलएलसी, यूएसए (निर्यातक/ट्रेडर) [बंगलादेश] के द्वारा किए जाने वाले विषयगत माल के निर्यात का अंतिम आंकलन उपर्युक्त सारणी में विनिर्दिष्ट अवशिष्ट श्रेणियों के अंतर्गत किया जाएगा"

(फा.सं. 354/211/2016-टीआरयू)

(गुंजन कुमार वर्मा)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोटः- प्रधान अधिसूचना सं. 01/2017-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 5 जनवरी, 2017 को सा.का.नि. संख्या 11(अ), दिनांक 5 जनवरी, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 03/2019-सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 15 जनवरी, 2019, जिसे सा.का.नि. 32 (अ.) दिनांक 15 जनवरी, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।